

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 645]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 29, शक 1940

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-2-02-2018-इक्सठ-लोसे प्र-पी.एस.जी.-15.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर 2014 द्वारा अधिसूचित सेवाओं में से सेवा क्रमांक 11.1 (मृतक के परिवार के आवेदन पर पी.एम. रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करना), 11.4 (लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना) एवं 11.6 (मर्मा इंटीमेशन की छायाप्रति देना) 11.5 (शस्त्र लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना) में संशोधन करते हुये गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदाय करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, तथा अन्य सेवाएं यथावत रहेंगी।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत गृह विभाग की सेवा

सेवा क्रमांक	सेवाएं	पदाधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित की गई समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.1	मृतक के परिवार के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना। (स्वास्थ्य विभाग से पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात)।	संबंधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी/ अजाक्स थाने की स्थिति में उप पुलिस अधीक्षक, अजाक्स।	05 कार्य दिवस।	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एस.डी.ओ.पी.)/नगर पुलिस अधीक्षक (सी.एस.पी.)/अजाक्स थाने की स्थिति में पुलिस अधीक्षक अजाक्स।	15 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.4	(अ) लाईसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात्-अवर्जित बोर के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण। (नवीनीकरण कराते समय लाईसेंसधारी यदि विगत तीन वर्ष में एक ही स्थान पर रहा है)।	जिला दण्डाधिकारी।	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह
	(ब) लाईसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात्-अवर्जित बोर के शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण।	जिला दण्डाधिकारी।	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह
11.5	(अ) शस्त्र लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना। (पुलिस का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात)।	जिला दण्डाधिकारी।	07 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह
	(ब) शस्त्र लाईसेंस की डुप्लीकेट प्रति प्रदाय करना।	जिला दण्डाधिकारी।	45 कार्य दिवस	संभागायुक्त	15 कार्य दिवस	सचिव, गृह
11.6	मर्ग इंटीमेशन की छायाप्रति देना।	संबंधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी।	03 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर पुलिस अधीक्षक।	07 कार्य दिवस	पुलिस अधीक्षक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.